संख्या-189/1-10-2014-12(6)/13

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : 04 मार्च, 2014

विषय -वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-263/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन-2013-14, दिनांक 06-02-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद के कुल 33 कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल धनराशि रू0 11,27,28,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू0 2,81,82,000/- (कुल रूपये दो करोड़ इक्यासी लाख बयासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0सं0	मार्ग का नाम	आगणित धनराशि (लाख रू0 में)	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	अयोध्या से पटेहरी सम्पर्क मार्ग	39.69	9.9225
2	जमुआ सम्पर्क मार्ग	19.94	4.985
3	एस0एम0के0 मार्ग किमी0 23 से मंगलापुरी सम्पर्क मार्ग	7.23	1.8075
4	एस0एम0के0 मार्ग किमी0 22 से सिरीयारी अकबरषाहपुर सम्पर्क मार्ग	29.47	7.3675
5	के0के0डी0 मार्ग किमी0 31 से बरहुला सम्पर्क मार्ग	29.33	7.3325
6	एस0एम0के0 मार्ग किमी0 23 से नथऊपुर सम्पर्क मार्ग	44.45	11.1125
7	एस0एम0के0 मार्ग किमी0 25 से पसना से बहियारी सम्पर्क मार्ग	34.00	8.50

8	के0के0डी0 मार्ग से माडो सम्पर्क मार्ग	30.40	7.60
9	के0के0डी0 मार्ग किमी0 3 से जादीपुर सम्पर्क मार्ग	29.78	7.445
10	ईंटवा से महुली सम्पर्क मार्ग	20.11	5.0275
11	एस0एम0के0 मार्ग किमी0 25 से पसना पथरा मार्ग के किमी0 3 से दुधरा से जोकहाई सिंकी सम्पर्क मार्ग	45.04	11.26
12	कोरांव–देवघाट–इमण्डगंज मार्ग (प्र0जि0मा0–146) के किमी0 1,2,3,4,5,6,17,18 एवं 23	48.38	12.095
13	के0के0डी0 मार्ग किमी0 33 से मड़फा कला सम्पर्क मार्ग	45.11	11.2775
14	करछना–कोहड़ारघाट मार्ग (प्र0जि0मा0–133) के किमी0 13 से दाहिने रोड़ी से पुरवा माइनर सम्पर्क मार्ग	48.70	12.175
15	करछना–जारी मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 4 से दायें घटवा से करहा सम्पर्क मार्ग	36.93	9.2325
16	पचदेवरा–गौहनिया मार्ग के किमी0 6 से बायें द्विसेनपुर से तरौल सम्पर्क मार्ग	33.25	8.3125
17	करछना–जारी मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 5 से सहलोलवा से सेमरी बाया सनात का पुरा सम्पर्क मार्ग	36.93	9.2325
18	करछना–कोहडारघाट मार्ग (प्र0जि0मा0–131) के किमी0 20 से बघेड़ा सम्पर्क मार्ग	30.32	7.58
19	करछना–कोहडारघाट मार्ग (प्र0जि0मा0–131) के किमी0 9 में 2 ग 5मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	37.89	9.4725
20	करछना–कोहडारघाट मार्ग (प्र0जि0मा0–131) के किमी0 6 में 2 ग 5मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	37.94	9.485
21	मेजा–कोहडारघाट–खीरी मार्ग (प्र0जि0मा0– 162ई) के किमी0 11 से मदरहा सम्पर्क मार्ग	21.95	5.4875
22	मेजा–कोहडारघाट–खीरी मार्ग (प्र0जि0मा0– 162ई) के किमी0 23 से बायें सिरहिर सम्पर्क मार्ग	22.75	5.6875
23	मेजा–कोहडारघाट–खीरी मार्ग (प्र0जि0मा0–162ई) के किमी0 32 से ईटवा महुली सम्पर्क मार्ग	49.22	12.305
24	मेजा–कोहडारघाट–खीरी मार्ग (प्र0जि0मा0– 162ई) के किमी0 27 से बाएं चांद खम्हरिया कटरा सम्पर्क मार्ग	40.89	10.2225
25	करछना–कोहडारघाट मार्ग (प्र0जि0मा0– 131) के किमी0 20 से दायें इसौटा सम्पर्क मार्ग	42.05	10.5125
26	सिरसा–मेजा–कोरांव मार्ग (प्र0जि0मा0–141) के किमी0 14 से लोटाड सम्पर्क मार्ग	31.34	7.835
27	मेजा डरूवा ऊचडीह मार्ग किमी0 3 से गेदुराही सम्पर्क मार्ग	18.23	4.5575

28	भभोखर कुल्हड़िया बरेठिया सम्पर्क मार्ग के अतिवृष्टि से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य	39.69	9.9225
29	रानीगंज से शंकरगढ़ मार्ग के अतिवृष्टि से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य	22.26	5.565
30	शिवराजपुर बाघला कंचनपुर सम्पर्क मार्ग के अतिवृष्टि से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य	31.62	7.905
31	गौहनिया से बारी बजहिया सम्पर्क मार्ग के अतिवृष्टि से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य	39.53	9.8825
32	बारी जंघई मार्ग के बाढ़/अतिवृष्टि से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य	49.48	12.37
33	नेवढ़िया सम्पर्क मार्ग के अतिवृष्टि से ध्वस्त भाग के निर्माण का कार्य	33.38	8.345
	योग	1127.28	281.82

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अई एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-

33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों, का अनुपालन सुनिश्चित कराने के पश्चात आपके द्वारा धनराशि निर्गत की जायेगी।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों

के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनरांशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-189(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
04/3/14
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

M/S DHANAWANTAN 2014 180